

and Saffpur (and not between Moradabad and Balamau) Railway Stations of Northern Railway on 29-10-77 in a private feud.

(b) Government Railway Police Unnao who registered this case, have since arrested 3 persons and efforts are being made to apprehend the remaining accused

Code of Ethics for Judges

*193 SHRI YASHWANT BOROLE Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state

(a) whether a code of ethics is sought to be framed for the judges in the country, and

(b) if so, the progress, if any, made in this regard?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Government are not seeking to frame a Code of ethics for the Judges in the Country

(b) Does not arise

गेडें धायरन एण्ड स्टील कम्पनी का बन्द होना

*195. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या बिधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गेडें धायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, हिरोडीह (कोडरमा), बिहार, को जबरन छुट्टी के नाम पर बन्द कर दिया गया है,

(ख) क्या केन्द्रीय उद्योग विभाग और बिहार सरकार द्वारा की गई जाच से पता चला है कि कम्पनी के निदेशक मडल ने 182 लाख २० की राशि का दुबिनियोग किया और जबरन छुट्टी से प्रभावित हुए, कमचारियों को क्षतिपूर्ति की कोई भदायगी भषवा जुलाई से लेकर उनके बेतनो की कोई

भदायगी नहीं की गई है और प्रबन्धको ने लाखों रुपयों के मूल्य का तैयार माल बेच करके अनुचित लाभ कमाया,

(ग) क्या कम्पनी ने पूर्ण कुप्रबन्ध और झूठाचार ब्याप्त है और क्या कम्पनी की पूंजी का 86 प्रतिशत भ्रम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बम्बई का है और क्या वह रकम डूब रही है, और

(घ) यदि उपरोक्त (क) से (ग) भागो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार का विचार राष्ट्र उद्योग तथा श्रमिक वर्ग के हित में समझाव अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अधीन इस कम्पनी के प्रबन्ध मडल का पुनर्गठन करके श्रमिको को सरक्षण देने का है ?

बिधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) (क) हिरोडीह, बिहार में कम्पनी के कार्य में 26 जुलाई 1976 से अस्थायी निलम्बन घोषित किया गया था।

(ख) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है।

(ग) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) के लिये दिये गये उत्तर की दृष्टि से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रश्न इस स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

बिबरण

(ख) इस विभाग के पास बिहार सरकार द्वारा की गई किसी जाच की बाबत कोई सूचना नहीं है। उद्योग मन्त्रालय द्वारा, उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के कार्य-कलापो की कोई औपचारिक जाच नहीं की गई है। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 1956 की